

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 02/परीक्षा/RAS-RTS/2018-19

दिनांक : 02.04.2018

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के लिये कार्मिक (क-4/2) विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। शासन से प्राप्त रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

## राज्य सेवा के पद

क्र.सं.	सेवा का नाम	कुल पद	आरक्षित पद										क्षैतिज आरक्षण	
			सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		निःशक्तजन	अराज्यीय कर्मचारी (N.G.E)
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.		
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	75	32	13 (3 वि.)	5	3	4	2	11	5 (1 वि.)	0	0	2 (1 HI, 1 LD)	5
2	राजस्थान पुलिस सेवा	34	17	7 (1 वि.)	0	0	3	1	5	1	0	0	0	2
3	राजस्थान लेखा सेवा	104	37	15 (4 वि. 1 परि.)	12	4 (1 वि.)	10	3 (1 वि.)	16	6 (1 वि.)	1	0	4 (1 BL, 1 HI, 2 LD)	7
4	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	11	5	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1 (1 HI)	0
5	राजस्थान उद्योग सेवा	15	7	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1
6	राजस्थान पर्यटन सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	राजस्थान सहकारी सेवा	13	5	2	1	1	0	1	2	1	0	0	2 (1 LD, 1 LV)	1
9	राजस्थान कारागार सेवा	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	राजस्थान नियोजन सेवा	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
11	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	राजस्थान परिवहन सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	77	26	11 (2 वि.)	10	4 (1 वि.)	7	3	12	4 (1 वि.)	0	0	3 (1 BL, 1 HI, 1 LD)	5
14	राजस्थान देवस्थान सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा	45	15	6 (1 वि.)	6	3	5	1	6	3	0	0	1 (1 HI)	3
16	राजस्थान महिला विकास सेवा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा (Asst. Director)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राजस्थान आबकारी (General Branch) सेवा	12	6	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1
20	राजस्थान आबकारी (Preventive Force)सेवा	8	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
योग		405	162	61 (11 वि. 1 परि.)	42	15 (2 वि.)	31	13 (1 वि.)	60	20 (3 वि.)	1	0	13 (3 B/LV 6 HI, 4 LD)	25

## अधीनस्थ सेवा के पद

क्र. सं.	सेवा का नाम	कुल पद	आरक्षित पद										क्षैतिज आरक्षण			
			सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	विभागीय/मंत्रालयिक
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.				
1	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	राजस्थान तहसीलदार सेवा	126	45	18 (5 वि. 1 परि.)	19	8 (2 वि.)	7	2	19	7 (2 वि.)	1	0	4 (2 BL, 1 HI, 1 LD)	15	0	0
3	राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा	14	6	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
4	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	7	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	25	10	3	4	1	3	0	3	1	0	0	0	3	0	3

6	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	110	43	18 (4 वि. 1 परि)	9	3	10	3 (1 वि.)	17	6 (1 वि.)	1	0	4 (2 BL, 1 HI, 1 LD)	14	2	18
7	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	35	15	6 (1 वि.)	4	1	2	1	4	2	0	0	3 (2 BL, 1 HI)	4	0	4
8	राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा	162	49	20 (5 वि. 1 परि)	18	7 (2 वि.)	24	9 (2 वि.)	24	10 (2 वि.)	1	0	4 (2 BL, 1 HI, 1 LD)	19	3	19
9	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1 (1 BL)	0	0	0
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)	18	8	3	3	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0
11	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी)	7	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	14	5	2	2	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	1
14	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Distt. Minority Welfare Officer)	16	7	3	2	0	1	0	3	0	0	0	1 (1 B/LV)	2	0	0
15	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा (Programme Officer)	33	14	5 (1 वि.)	4	1	3	0	5	1	0	0	1 (1 B/LV)	4	0	0
योग		575	213	82 (16 वि. 3 परि)	70	24 (4 वि.)	57	16 (3 वि.)	79	30 (5 वि.)	4	0	18 (11 B/LV, 4 HI, 3 LD)	65	5	45

वेतनमान :-

#### राज्य सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	L-14	11	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा	L-12
2	राजस्थान पुलिस सेवा	L-14	12	राजस्थान परिवहन सेवा	L-12
3	राजस्थान लेखा सेवा	L-14	13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	L-14
4	राजस्थान बीमा सेवा	L-14	14	राजस्थान देवस्थान सेवा	L-12
5	राजस्थान उद्योग सेवा	L-12	15	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा	L-14
6	राजस्थान पर्यटन सेवा	L-12	16	राजस्थान महिला विकास सेवा	L-14
7	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	L-12	17	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा	L-12
8	राजस्थान सहकारी सेवा	L-12	18	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा	L-14
9	राजस्थान कारागार सेवा	L-12	19	राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा	L-12
10	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	L-12	20	राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा	L-12

#### अधीनस्थ सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	L-11	9	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	L-11
2	राजस्थान तहसीलदार सेवा	L-11	10	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)	L-11
3	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)	L-10	11	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	L-11
4	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	L-10	12	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी)	L-12
5	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	L-10	13	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	L-10
6	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	L-10	14	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Distt. Minority Welfare Officer)	L-12
7	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	L-10	15	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा (Programme Officer)	L-11
8	राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा	L-10			

**विशेष नोट:-** अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 5 से 8 एवं 13 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

**अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-**

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्त पूर्ण करना चाहिए :-

**अनुभव :-** He must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the 1st day of January 2019.

**नोट:-** (1) आवेदक को दिनांक 01.01.2019 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त है, उसका दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें।

- (2) In filling the vacancies so reserved the candidates who are “non-gazetted employees” shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates.
- (3) If a sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shall be filled by appointing other candidates in the list.

<b>अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :</b> – Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.	
<b>आयु सीमा</b>	दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 से कम। आराजपत्रित कर्मचारी – दिनांक 1 जनवरी, 2019 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान	
1	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
2	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.
3	राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में Substantive तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 45 years.
4	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of panchayat samities and zila parishads in substantive capacity shall be 45 years.
5	राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में Substantive रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in state public sector Undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
6	एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
7	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
8	रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit for the reservist; namely the defense personnel transferred to the reserve and the ex-service personnel shall be 50 years.
9	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक 01.01.2019 को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, Ex-servicemen must not have attained the age of 50 years on 01.01. 2019. Provided that in the case of holders of Military Cross/Vir Chakra or any other higher distinction, the upper age limit shall be relaxable by two Years.

#### नोट –

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रिटियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2016 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2017 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।
- अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

#### अन्य विवरण

<b>शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान</b>	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
<b>चयन प्रक्रिया</b>	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
<b>परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम</b>	प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जावेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।
<b>परीक्षा का स्थान एवं माह</b>	प्रारम्भिक परीक्षा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर एवं मुख्य परीक्षा राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है। उक्त पदों की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तिथि यथासमय घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।
<b>आवेदन अवधि</b>	दिनांक 12-04-2018 से दिनांक 11-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
<b>आवेदन प्रक्रिया</b>	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline">https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline</a> से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।

**विशेष नोट :-**

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**(1) Scheme of examination:** The Combined Competitive Examination will be held in two successive stages-

- (i) Preliminary Examination, and (ii) Main Examination

(i) **Preliminary examination** : The Preliminary Examination will consist of one paper on the subject specified below, which will be of objective type and carry a maximum of 200 marks. The examination is meant to serve as a screening test only. The Standard of the paper will be that of a Bachelor's Degree Level. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to Main Examination will not be counted for determining their final order of merit.

Subject	Maximum Marks	Time
General Knowledge & General Science	200	Three hours

**(ii) Main examination:**

(a) The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and posts, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.

(b) The written examination will consist of the following four papers which will be descriptive/analytical. A candidate must take all the papers listed below which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type questions. The standard of General Hindi and General English will be that of Sr. Secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours.

	Papers	Maximum Marks
Paper I	General Studies-I	200
Paper II	General Studies-II	200
Paper III	General Studies-III	200
Paper IV	General Hindi and General English	200

**(2) Personality and viva-voce Examination (See rule 15):-**

- (i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which carries 100 marks.
- (ii) The Commission shall award marks to each candidate interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address, physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. However for selection to the Rajasthan Police Service, candidates having 'C' Certificate of N.C.C. shall be given preference. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate.

**(3) General Instructions :**

- (i) All papers shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.
- (ii) If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
- (iii) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

**(4) Syllabus and scope of the papers :-** The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

**विशेष सूचना :-** "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)  
सचिव